कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), छपरा
जिला– सारण

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, छपरा के अप्रैल 2012 से सितम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 759 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14651/478 दिनांक– 15.3.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सारण

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र पंजी
20 MAR 2017
प्राप्ति तिथि

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र पंजी
21 MAR 2017
संख्या 2485

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 759/16–17

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, सारण (छपरा)
2	लेखा परीक्षा का अवधि	अप्रैल 2012 से सितम्बर 2016
3	लेख परीक्षा का कार्य क्षेत्र	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व जॉच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–1 पर तथा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–2 पर दी गयी है।
4	लेखा परीक्षा की तिथि	13.10.16 से 24.10.16 तक (10 कार्य दिवस)
5	**कार्यपालक अभियंता :–** **1 श्री प्रभाकर नारायण सिंह** **2 श्री रामप्रवेश सिंह** **3 श्री श्यामा शरण तिवारी**	**कार्यकाल** **04.04.12 से 26.07.14 तक** **26.07.14 से 14.07.16 तक** **14.07.16 से वर्तमान समय तक**
6	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री कौशल किशोर (स.ले.प.अ) 2. श्री राजीव कुमार सिंह (पर्यवेक्षक) 3. श्री रौशन कुमार (ले.प.) 4. श्री राकेश कुमार सिंह (ले.प.)
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	5. श्री शैलेन्द्र नारायण मिश्रा (व.ले.प.अ.)
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	प्रथम लेखापरीक्षा
9	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिला शहरी विकास अभिकरण, सारण कार्यालय द्वारा लेखाओं का संधारण संतोषप्रद रूप से नहीं किया गया था। वार्षिक लेखे का संधारण नहीं किया जा रहा था।
10	क्या आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया?	हाँ।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, सारण (छपरा) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–II (क)

—शुन्य—

भाग–II (ख)

कंडिका सं0 01– विलम्ब शुल्क की कटौती नही राशि रू 69.11 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण, सारण द्वारा उपलब्ध कराये गये येाजना विवरणी के अनुसार योजनाओं का कियान्वयन निविदा द्वारा किया गया था परन्तु विलम्ब से पूर्ण की गयी योजनाओं में विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गयी थी। विवरण निम्न प्रकार है:–

क0सं0	मद का नाम	योजना सं0 / वर्ष	प्रा0राशि	प्रशासनिक स्वीकृति / कार्यादेश की तिथि	पूर्ण करने की निर्धारित अवधि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
1.	स्लम योजना	01/11–12	3577500	31.12.12	6 माह	24.03.14
2.	स्लम योजना	02/11–12	5288000	31.12.12	6 माह	26.11.13
3.	मु0स0श0वि0	01/11–12	877700	07.01.13	2 माह	02.08.13
4.	–तथैव–	02/11–12	410400	07.01.13	2 माह	29.09.16
5.	–तथैव–	03/11–12	2212600	07.01.13	2 माह	03.10.16
6.	–तथैव–	05/11–12	700300	07.01.13	2 माह	02.09.13
7.	–तथैव–	06/11–12	1538300	07.01.13	2 माह	20.09.16
8.	–तथैव–	07/11–12	716300	07.04.13	2 माह	18.12.16
9.	–तथैव–	08/11–12	364100	07.01.13	2 माह	20.08.13
10.	–तथैव–	09/11–12	1562100	07.01.13	2 माह	25.06.13
11.	–तथैव–	10/11–12	662300	07.01.13	2 माह	17.10.14
12.	–तथैव–	11/11–12	3614200	07.01.13	2 माह	06.12.13
13.	–तथैव–	12/11–12	438500	16.02.13	2 माह	08.04.15
14.	–तथैव–	13/11–12	517400	07.01.13	2 माह	10.03.14
15.	–तथैव–	07/13–14	1001200	26.02.14	6 माह	07.05.15
16.	–तथैव–	08/13–14	1547500	26.02.14	6 माह	21.06.16
17.	–तथैव–	09/13–14	1618200	26.02.14	6 माह	10.09.15
18.	–तथैव–	10/13–14	1852200	26.02.14	6 माह	28.05.16
19.	–तथैव–	12/13–14	1960900	26.02.14	6 माह	28.05.16
20.	–तथैव–	13/13–14	21228200	08.03.14	6 माह	25.02.16
21.	–तथैव–	17/13–14	781800	13.01.14	2 माह	28.11.14
22.	–तथैव–	19/13–14	1010600	26.02.14	6 माह	30.07.15
23.	–तथैव–	01/14–15	16713500	18.04.15	6 माह	24.12.15
24.	–तथैव–	04/14–15	1436900	10.03.15	6 माह	08.03.16
25.	–तथैव–	05/14–15	4232800	13.08.15	2 माह	18.05.16
26.	–तथैव–	08/14–15	746400	04.03.15	2 माह	25.06.16
27.	–तथैव–	18/14–15	633100	06.04.15	2 माह	21.01.16
28.	–तथैव–	19/14–15	737700	06.04.15	2 माह	02.03.16
29.			69115200			

उपुर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया गया था।

एकरारनामा की शर्त सं0 2 (क्लाज–2) के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में प्राक्कलित राशि का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम 10 प्रतिशत शास्ति (विलम्ब शुल्क) का प्रावधान किया गया था जिसके अनुसार योजनाओं में कुल रू 6911520 की कटौती नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि योजनाए ससमय पूर्ण हो चुकी है एवं जो योजनाएँ समय से पूर्ण नहीं हुई है उनमें एकरारनामा के नियमानुसार विलम्ब शुल्क की कटौती की गई थी।

परन्तु कटौती का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

कंडिका सं0 02 योजना का कार्यान्वयन में अनियमित भुगतान राशि रू 2.26 लाख

मद का नाम–मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना

योजना सं0–17/2012–13

योजना का नाम–नगर परिषद छपरा अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय परिसर में पार्क जनसुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि–रू 2367600

एकरारनामा की राशि– रू 2263950

एकरारनामा संख्या–17$_{F2}$ /2012–13

संवेदक – श्रीमती विभाग सिंह, गोलुनगंज, छपरा

कार्यादेश की तिथि– 23.11.2012 पूर्ण करने की अवधि– 22.05.13

भुगतान की राशि– रू 2263950

मापी पुस्तिका संख्या एवं मूल्यांकन राशि–21/25.05.13 रू 2240462.63

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. मापी पुस्तिका की राशि रू 2240462.63 के विरूद्ध रू 2263950.00 का भुगतान किया गया जो देय राशि से ₹ 23487 अधिक था।
2. निविदा कितने संवेदकों द्वारा डाला गया था इसका उल्लेख संचिका में संलग्न नहीं था।
3. निविदादाता द्वारा अनुसूचित दर/इससे अधिक/कम पर निविदा डाली गयी इसका उल्लेख/साक्ष्य संलग्न नहीं था।
4. संवेदक द्वारा फार्म 'एम' एवं 'एन' संलग्न नहीं किया गया लेकिन सामग्री ढुलाई पर रू 225876 का भुगतान किया गया जो अनियमित था।

   वित विभाग के पत्रांक 165 दिनांक 12.01.2006 में यह स्पष्ट आदेश है कि सामग्रियों का क्रय उन्ही संस्थाओं से किया जाना है जो वैट से संबंधित है। साथ ही निर्माण कार्य में लघु खनिज यथा पत्थर बालु ईट मिटी एवं अन्य का उपयोग संवेदकों द्वारा किया जाता है। उक्त लघु खनिजों की खरीदगी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता प्रबंधक संवेदक या उप–पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम 40 (10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रमाण –एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा उक्त प्रपत्र में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी सहायक निदेशक, खान निरीक्षक से करवा सके।

जवाब में बताया गया कि अवशेष राशि रू 23487 विभाग में जमा करा दिया गया था। अतः देय राशि से अधिक का कोई भी भुगतान नही किया गया है।

इस कार्य हेतु आहुत निविदा में कुल 6 संवेदकों द्वारा भाग लिया गया था। निविदा की प्रति संचिका के पृष्ठ संख्या 55 से 95 तक संलग्न है।

सभी सफल निविदाकारों द्वारा समान दर पर निविदा दी गई थी एवं सफल निविदादाता का चुनाव लॉटरी के माध्यम से किया गया। यह साक्ष्य संचिका के पृष्ठ सं0–91 पर संलग्न है।

जहॉ तक बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार संवेदक से प्रपत्र एम एवं एन लेने एवं चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने की जानकारी नहीं रही है। भविष्य में इसका अक्षर अनुपालन किया जाएगा।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया था।

कंडिका सं0 03–प्राक्कलन से कम व्यय कर योजना पूर्ण किया जाने से कार्य का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने के कारण निष्फल व्यय राशि रू 17.04 लाख

योजना सं0–12/2015–16

योजना का नाम–मुख्य मंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नगर पंचायत परसा बाजार के अन्तर्गत महादलित टोला शंकर डीहा पोखरा का चारदीवारी एवं सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि– रू 2159561.00

एकरारनामा की राशि–रू 2039859

अभिकर्ता का नाम–श्री उदय कुमार

मापी पुस्तिका की मूल्यांकित राशि– ₹ 1704020

अभिकर्ता को भुगतान– ₹ 1704020

कार्य आदेश की तिथि–21.05.15

कार्य पूर्ण करने की तिथि–3 माह

अंतिम मापी की तिथि–05.03.16

अंकेक्षण टिप्पणी

उपरोक्त योजना संचिका के नमूना जॉच में निम्न बातें पाई गई–

1. उक्त योजना एकल निविदा द्वारा श्री उदय कुमार को दिया गया था एवं निविदा कागजात भी संचिका में संलग्न नहीं पाया गया।
2. उक्त योजना की एकरारनामा की राशि ₹ 2039859 की थी जबकि योजना पर ₹ 1704020 व्यय कर योजना को पूर्ण कर दिया गया था
3. योजना का कार्यादेश 21.05.15 को दिया गया था अर्थात तीन माह में योजना पूर्ण किया जाना था जबकि कनीय अभियंता द्वारा प्राक्कलन को पुनरीक्षित दिनांक 27.02.16 को कर योजना की प्राक्कलन राशि रू 2159561 से घटाकर राशि रू 1793250 कर दिया गया एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियंता डूडा का हस्ताक्षर नहीं पाया गया जिससे पुनरीक्षित प्राक्कलन संदेहास्पद था।
4. प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर कार्य की मात्रा घटाने से योजना की गुणवता एवं उद्देश्य प्रभावित होती है तथा इससे पता चलाता है कि बिना स्थल निरीक्षण प्राक्कलन बनाया गया था। अतः योजना को आधे–अधुरे कराकर पूर्ण करने किये जाने से राशि रू 1704020.00 निष्फल हुआ।
5. क्लॉज–02 के अनुसार तय समय सीमा से 09 माह तक कार्य विलम्ब से किया गया था जिसके कारण विलम्ब शुल्क प्राक्कलन राशि रू 1793250 का 10 प्रतिशत यानि रू 179325 संवेदक से वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि 1. निविदा का आमंत्रण किया गया है जिसमें दो निविदाकार को न्यूनतम दर उद्धित होने के कारण कार्य का आवंटन किया गया।

2. कार्य की समाप्ति की अवधि 3 माह थी इस कार्य हेतु कनीय अभियंता द्वारा 27.02.2016 को पुनरीक्षित प्राक्कलन का गठन किया गया जिसके अनुसार कार्य की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 1793250 थी।

पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि में घटोतरी का मुख्य कारण मूल प्राक्कलन के सामग्री की ढुलाई को भूल हो जाना था। जवाब संतोषजनक नहीं है।

कंडिका सं0 04–निष्फल व्यय राशि रू 33.82 लाख

योजना सं0–09/2014–15

योजना का नाम– नगर पंचायत एकमा बाजार के अन्तर्गत राजु प्रसाद के घर से पैक्स भवन तक नाला निर्माण

प्राक्कलित राशि– रू 3629300

एकरारनामा की राशि–रू 3456440

अभिकर्ता का नाम–श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह

योजना प्रारंभ की तिथि–21.05.15

कार्य पूर्ण की तिथि–30.10.16

मापी पुस्तिका की मूल्यांकित राशि– ₹ 3381744

संवेदक को भुगतान– ₹ 3381744

योजना स्थिति–पूर्ण

अंकेक्षण टिप्पणी

1. मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अन्तर्गत योजना की संचिका नमूना जॉच में देखा गया कि योजना का प्राक्कलन एवं निविदा राजु प्रसाद के घर से पैक्स गोदाम तक नाला निर्माण के लिए कियागया था परन्तु संचिका में देखा गया कि योजना पैक्स गोदाम से आगे तक कराया गया था जिससे योजना का उददेश्य पूरा नहीं होता।
2. संचिका में संलग्न शिकायत पत्र में सुजाता देवी वार्ड पार्षद वार्ड नं0–4 द्वारा शिकायत किया गया था कि पैक्स गोदाम से जो कार्य शुरू किया गया था उधर किसी का मकान नहीं है फिर भी किसी जॉच के बिना कार्य को नए स्थल पर पूर्ण किया गया था
3. संचिका में संलग्न सुजाता देवी वार्ड पार्षद द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय के यहॉ शिकायत करने पर श्री प्रशांत कुमार कनीय अभियंता द्वारा जॉच प्रतिवेदन में बताया गया कि राजु सिंह के घर से पैक्स भवन के बीच 750 फीट रेलवे एवं 700 फीट निजी जमीन है जिसमें कार्य करना संभव नहीं है। जब कार्य स्थल को बदला गया तब प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं कराया गया था।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग गोपनीय कोषांग द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 948 दिनांक 16 जुलाई 1986 के अनुसार कार्य का निविदा तभी किया जाना है जब उस कार्य के लिए भूमि उपलब्ध हो। यदि भूमि उपलब्ध न हो तो कार्य प्रारभ करने से पूर्व भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए था।

   संचिका में जमीन अधिग्रहण के प्रयास से संबंधित कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था सिर्फ जॉच रिपोर्ट के आधार पर कार्यस्थल बदल कर पूर्व के योजना के प्राक्कलन के अनुसार कार्य पूर्ण किया गया था। योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने से योजना पर किया गया व्यय राशि ₹ 3381744 निष्फल प्रतीत होता है।

जवाब में बताया गया कि

1. योजना का कार्य राजु प्रसाद के घर पैक्स गोदाम के आगे तक कराया गया क्योंकि योजना स्थल पर प्रारंभ में 700 फीट की लम्बाई निजी जमीन थी एवं 750 फीट में रेलवे की जमीन थी जिस पर कार्य कराना सम्भव नही था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुरोध को देखते हुए उनके कार्यहित में नाला का निर्माण पैक्स गोदाम से आगे कराया गया ताकि नाले के पानी का निकासी चैम्बर में हो सके जिससे योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

2. सुजाता देवी वार्ड पार्षद द्वारा यह शिकायत की कि उधर किसी का मकान नहीं है, पैक्स गोदाम के आस– पास विवाह भवन तथा अन्य ग्रामीणों के मकान स्थित है जिसके लिए नाला का निर्माण आवश्यक था।
3. स्वीकृत योजना के अनुसार राजु प्रसाद के घर से पैक्स गोदाम के बीच की दूरी लगभग 3250 फीट में 1771 फीट में नाला का निर्माण किया जाना था चूंकि राजु प्रसाद के घर से लगभग 750 फीट रेलवे की जमीन तथा 700 फीट निजी जमीन परती था। अतः जमीन को छोड़ के शेष 1771 फीट में नाला का निर्माण कराया गया। इस कार्य हेतु प्राक्कलन को पुनरिक्षीत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
4. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निजी जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन में नाला निर्माण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी थी परंतु कार्य करने के दौरान उन्होने अपने निजी जमीन में नाला निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दिया। इसके कारण स्वीकृत योजना के अनुरूप ही रेलवे एवं निजी जमीन को छोड़ कर कार्य कराया गया है

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि जवाब के समर्थन में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। प्राक्कलन तैयार करने के पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाने का प्रावधान है।

कंडिका सं0 05–स्ट्रीट लाईटिंग के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य में अनियमित भुगतान (राशि रू 291.36 लाख)

नगर परिषद छपरा क्षेत्र अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत विभिन्न जगहों पर स्ट्रीट लाईटिंग के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य किया गया है। सामग्री का क्रय करने के लिए जिला शहरी विकास योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रित किया गया। निविदा आमंत्रण के लिए सचूना स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 20.09.2014 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार विवरणी निम्न प्रकार है:–

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि– 13.09.2014
2. कोटेशन कागजात डाउनलोड करने की तिथि– 20.09.14 से 28.09.14 के 15.00 बजे तक
3. बीड खोलने की तिथि – 29.09.14 के 15.00 बजे तक

क. सं.	योजना का नाम	नगर निकाय का नाम	अग्रधन की राशि	परिणाम विपत्र का मूल्य	बीड प्रोसेसिंग फीस	कार्य समाप्ति की तिथि
	पर्यटन विभाग योजना अन्तर्गत					
1	एन0 एच0–19 से डी.आर.एम आवास होते हुए डाक बंगला तक में स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कार्य	नगर पंचायत सोनपुर	39100	5000	1125	एक माह
2	डाक बंगला से हास्पीटल चौक होते हुए हरिहर नाथ मंदिर द्वार तक में स्ट्रीट लाईट	नगर पंचायत सोनपुर	41800	5000	1125	एक माह
3	हरिहर नाथ द्वार से हरिहर नाथ मंदिर तक में स्ट्रीट लाईट	नगर पंचायत सोनपुर	44100	5000	1125	एक माह
4	न्ख्खश क्षेत्र गज–ग्राह चौक एवं चिड़िया बाजार में स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन	नगर पंचायत सोनपुर	39700	5000	1125	एक माह
	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना					
5	दारोगा राय चौक से साहेबगंज तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	105800	10000	1125	एक माह
6	थाना चौक से म्युनिशिपल चौक तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	21900	2500	1125	एक माह
7	नगर पालिका चौक से दारोगा राय चौक तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	98000	5000	1125	एक माह
8	नगर पालिका चौक से मोना चौक तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	19200	1250	1125	एक माह
9	मोना चौक से भिखारी ठाकुर चौक तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	131000	10000	1125	एक माह
		कुल	540600	48750	10125	

जिसमें सिर्फ 02 निविदादाता M/s Radhika Raman Rai, Friends Colony, Ashiyana Nagar, Patna एवं M/s Surendra Prasad Singh, Alka Colony Sandalpur Kumahrar Patna का कोटेशन प्राप्त किया गया था। जिसकी तुलनात्मक विवरणी निम्न प्रकार है।

क. सं.	योजना का नाम	नगर निकाय का नाम	प्राक्कलित राशि	एकरार नामा राशि	व्यय की राशि	M/s Radhika Raman Rai	M/s Surendra Prasad Singh	तुलनात्मक विवरणी के अनुसार न्युनतम निविदादाता	तुलनात्मक अधिक व्यय राशि
	पर्यटन विभाग योजना अन्तर्गत								
1	एन0 एच0–19 से डी. आर.एम आवास होते हुए डाक बंगला तक में स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कार्य	नगर पंचायत सोनपुर	2188000	2083805	2083805	2115135.50	2172870	M/s Radhika Raman Rai	57735
2	डाक बंगला से हास्पीटल चौक होते हुए हरिहर नाथ मंदिर द्वार तक में स्ट्रीट लाईट	नगर पंचायत सोनपुर	2498400	2258211	2258211	2289496	2353800	M/s Radhika Raman Rai	64304
3	हरिहर नाथ द्वार से हरिहर नाथ मंदिर तक में स्ट्रीट लाईट	नगर पंचायत सोनपुर	2498400	2379386	2379386	2716522	2482290	M/s Surendra Prasad Singh	-
4	न्ख्खश क्षेत्र गज–ग्राह चौक एवं चिड़िया बाजार में स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन	नगर पंचायत सोनपुर	2249500	2142358	2142358	2438774	2233615	M/s Surendra Prasad Singh	-
	मुख्यमंत्री भाहरी विकास योजना								
5	दारोगा राय चौक से साहेबगंज तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	5936366	5653676	5653676	5888890	5926050	M/s Radhika Raman Rai	37160
6	थाना चौक से म्युनिशिपल चौक तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	1230600	1171987	1171987	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही		
7	नगर पालिका चौक से दारोगा राय चौक तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	5503111	5241058	5241058	5884004	5493210	M/s Surendra Prasad Singh	-
8	नगर पालिका चौक से मोना चौक तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	1077400	1026036	1026036	1150450	1074975	M/s Surendra Prasad Singh	
9	मोना चौक से भिखारी ठाकुर चौक तक स्ट्रीट लाईट	छपरा नगर परिषद	7538045	7179090	7179090	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही		
					29135607				159199

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. दोनों कम्पनी के कोटेशन का तुलनात्मक विवरणी के अनुसार न्यूनतम दर वाले कम्पनी को स्वीकृत करना है। जिसमें न्यूनतम दर M/s Radhika Raman Rai को निविदा स्वीकृत नहीं कर M/s Surendra Prasad Singh को स्वीकृत किया गया।
2. योजना थाना चौक से म्युनिशिपल चौक तक स्ट्रीट लाईट प्राक्कलन के अनुसार यूनिट 20 लगाना था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार यूनिट 11 का कार्य किया गया।
3. कम्पनी द्वारा जारी किया गया सामग्री का गारंटी/वारंटी कार्ड संलग्न नहीं किया गया था।
4. स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया गया है। सामग्री का कय एवं अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
5. अधिष्ठापन से संबंधित तकनीकी अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
6. L.E.D लाईट का कय एवं बजाज/हेवल्स/कम्पटन/बी0 पी0 कम्पनी का किसी भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
7. एक ही बार 02 आपूर्तिकर्ता का कोटेशन प्राप्त कर बार–बार M/s Surendra Prasad Singh, Alka Colony, Patna आपूर्तिकर्ता से सामग्री का कय लगातार किया गया है।
8. सामग्री गुणवता की मापदण्ड की जांच प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
9. अधिष्ठापन के बाद जिला शहरी विकास अभिकरण के उच्च अधिकारी एवं तकनीकी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन संलग्न नही है।

जवाब में बताया गया कि

1. उक्त कोटेशन आमंत्रण निविदा के माध्यम से मात्र दो कोटेशन प्राप्त हुए थे दोनो कोटेशन को सक्षम अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता, बुडा पटना को भेज दिया गया था।
   अधीक्षण अभियंता बुडा पटना के समक्ष दर M/s Radhika Raman Rai N.I.Q के शर्तो के अनुरूप नही पाए गये फलस्वरूप M/s Surendra Prasad Singh, Alka Colony, Patna को कार्य आवंटित किया गया ।
2. थाना चौक से म्यूनिसिपल चौक के बीच जिसमें जिला पदाधिकारी, सारण एवं अन्य पदाधिकारी के कार्यालय अवस्थित है तत्कालीन जिला पदाधिकारी सारण महोदय के मौखिक आदेशानुसार पथ के दोनो ओर लाईन न लगाते हुए सौन्दर्यीकरण के लिए निर्मित डिवाईडर पर ही Both Arm वाले स्ट्रीट लाईट लगाया है। जिससे संख्या कम हो गई है।
3. उक्त कोटेशन आमंत्रण से संबंधित N.I.Q के निहित प्रावधान के आलोक में सफल कोटेशन निविदादाता को स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन के पश्चात उसका रख–रखाव 03 वर्ष तक करना है। इसलिए कम्पनी के गारंटी कार्ड को अद्योहस्ताक्षरी के स्तर पर संधारित नही किया गया है।
4. कोटेशन आमंत्रण में किसी भी सामग्री/उपस्कर की आपूर्ति करने का प्रावधान नही था। इसलिए स्टॉक पंजी का संधारण नही किया गया है।
5. स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन के पश्चात कार्यपालक अभियंता, विद्युत पश्चिमी (छपरा) एवं वरीय उप समाहर्ता के द्वारा संयुक्त रूप से जॉच की गई है एवं कार्य संतोषप्रद पाया गया है।
6. LED Light Havells Company का लगा है, इसका प्रमाण संलग्न है।
7. E tendering के माध्यम से प्राप्त कोटेशन वाले फार्म/व्यक्ति को ही कार्य आवंटित किया जाता है।
8. गुणवता संबंधी जॉच का प्रतिवेदन संलग्न है
9. अधिष्ठापन के पश्चात प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत छपरा को जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

निविदादाता को न्यूनतम दर पर निविदा नहीं आवंटित करने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। न्यूनतम निविदाता को निविदा नहीं देने के कारण राशि रू 159199 का अधिक व्यय किया गया। जवाब में बताया गया कि मौखिक आदेश के अनुसार कार्य में परिवर्तन किया गया था लिखित आदेश नहीं लिया गया था।

कंडिका सं0 06–अधिक भुगतान राशि –रू 781761.00

योजना का नाम–डी0आर0डी0ए0 के विकास भवन के द्वितीय तल पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण भवन का निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि– ₹ 4875900.00

तकनीकी स्वीकृति दिनांक–23.03.12

प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक–16.06.12

अभिकर्ता का नाम–श्री दिनानाथ दता, सहायक अभियंता

अंतिम मापी की राशि व दिनांक– ₹ 4875900 तिथि–25.10.13

भुगतान की राशि–4875900.00

क्र.सं.	चेक सं0/दिनांक	राशि
01	000008/16.06.12	750000
02	000009/24.07.12	1000000
03	000010/17.08.12	1000000
04	046491/30.11.12	100000
05	046492/16.01.13	200000
06	046493/04.02.13	200000
07	046494/21.03.13	380713
08	046495/25.03.13	69064
09	046496/25.03.13	15973
10	046497/09.04.13	125000
11	046498/07.05.13	25000
12	046499/18.05.13	550000
13	046500/23.08.13	197402
14	046501/23.08.13	62300
15	046502/23.08.13	76405
16	046503/25.10.13	58567
17	046504/25.10.13	35733
18	046505/25.10.13	27761
19	046506/25.10.13	1982
20	046507/14.03.14	50000
21	046508/16.04.14	4718
22	046509/16.04.14	630
23	046510/25.04.14	61130
		4992378

अभिश्रव विवरणी

Date of Hand receipt	राशि
22.07.12	34500
27.07.12	73290
12.08.12	8099
17.08.12	34500
18.09.12	72328
04.10.12	114126
16.11.12	34500
30.03.13	6945.90
02.04.13	35018
22.05.13	41875
	455181

संचिका में संलग्न अभिश्रव के अनुसार Hand receipt से सामग्री बालू एवं सेंटरिंग के लिए राशि ₹455181 का भुगतान किया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता के द्वारा अभिश्रव संलग्न नही कराया गया है।

क.सं.	अभिश्रव	भुगतान कर्ता का नाम	बिल सं.	मात्रा	राशि
1.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	652	10000	41180
2.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	654	4000	16472
3.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	659	10000	41180
4.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	662	10000	41180
5.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	663	9000	37062
6.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	667	10000	41180
7.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	669	10000	41180
8.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	685	3000	12354
9.	ईट	VIP ईट उद्योग बनियापुर सारण	694	6000	24708
10.	स्टोन चिप्स	मॉ कन्सक्ट्शन बाजार समिति छपरा	206	600cft	36000
11.	स्टोन चिप्स	मॉ कन्सक्ट्शन बाजार समिति छपरा	214	600cft	36000
12.	स्टोन चिप्स	मॉ कन्सक्ट्शन बाजार समिति छपरा	220	600cft	36000
13.	स्टोन चिप्स	मॉ कन्सक्ट्शन बाजार समिति छपरा	274	600cft	36000
14.	स्टोन चिप्स	मॉ कन्सक्ट्शन बाजार समिति छपरा	286	600cft	36000
15.	स्टोन चिप्स	मॉ कन्सक्ट्शन बाजार समिति छपरा	626	600cft	36000
16.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	404	1105.600Kg	48093
17.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	468	1105.500Kg	48089
18.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	470	1105.500Kg	48089
19.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	471	1057.900Kg	45801
20.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	473	1150.400Kg	50047
21.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	475	1193.100Kg	51900
22.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	479	1077.800Kg	46884
23.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	481	1200.200Kg	52208
24.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	485	1150.700Kg	50055
25.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	487	1200.300Kg	52213
26.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	490	1100.700Kg	47880
27.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	490	1150.300Kg	50038
28.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	494	997.800Kg	43404

29.	रड	नीतीश कन्सक्ट्शन नेहरू चौक छपरा	510	360Kg	15660
30.	सिमेंट	Babul al & Sons	676	400 Bags	99426
31.	सिमेंट	Babul al & Sons	705	300 Bags	74570
32.	सिमेंट	Babul al & Sons	713	400 Bags	99426
33.	सिमेंट	Babul al & Sons	380	380 Bags	99426
34.	चौखट	Ashoka furniture House Chapra	42	11sqfeet	12617
35.	चौखट	Ashoka furniture House Chapra	38	14sqfeet	16058
36.	ग्रिल	उमेश इंजिनियरिंग वर्क्स दिघवारा सारण		1298 Kg	85668
37.	ग्रिल	उमेश इंजिनियरिंग वर्क्स दिघवारा सारण		433 Kg	81105
38.	ग्रिल	उमेश इंजिनियरिंग वर्क्स दिघवारा सारण		171Kg	81105
39.	कुर्सी	Royal Enterprises Chapra	1244	108	747402
40.	टाईल्स	Aluminium House co.	347	120 sft	39646
41.	टाईल्स सामान	Aluminium House co.	348		25357
42.	टाईल्स	Krishna Marble	241	350 sft	96950
43.	टाईल्स	Krishna Marble	242	422 sft	116894
44.	टाईल्स	Krishna Marble	243	350 sft	96950
45.	पाईप सामग्री	Ganesh Pipe stores			2440
46.	पाईप सामग्री	गंगोत्री पाईप्स			7054
47.	पाईप सामग्री	गंगोत्री पाईप्स			3350
48.	ग्लास सामग्री	वैभव ग्लास अल्युमिनियम वर्क्स	142		11100
49.	हार्डवेयर	Deepak Hardware			66754
50.	पाईप सामग्री	Jairam enterprises	100		20415
51.	पाईप सामग्री	Jairam enterprises	99		43906
		Hand receipt			455181
		मॉस्टर रॉल			799744
					4345401

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज की ढुलाई को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के साथ चालानों की प्रति लिया जाना अनिवार्य है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि सरकार के उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर सिर्फ रायल्टी की कटौती कर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे लघु खनिजों की मात्रा, गुणवता एवं ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता एवं इससे अवैध खनन को बढ़ावा दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फलतः ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. Material of statement के अनुसार स्टोन चिप्स 463 किलोमीटर से दूर से करना था जिसके लिए ढुलाई भाड़ा @ Rs.1600/m^3 निर्धारित किया गया था। लेकिन 3600cft or 101.95m^3 पर ढुलाई भाड़ा राशि रू 163120 भुगतान किया गया तथा सामग्रियों के क्रय हेतु चलान को जिला खनिज पदाधिकारी/सहायक खनिज पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित कराया जाना था। जो

सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण ढुलाई पर किया गया व्यय राशि रू 163120.00 अनियमित था।

2. प्राक्कलन के अनुसार स्टोन चिप्स 95.5 m^3 का कार्य करना था जबकि अभिश्रव के अनुसार $101.95m^3$ or 3600cft का कार्य में लगाया गया जिसके कारण अधिक स्टोन चिप्स पर किया गया भुगतान ($101.95m^3$ - 95.5 m^3) 6.45 m^3 or 277.74cft @ 6000/100cft =Rs. 16664.00 अधिक भुगतान किया गया था।
3. संचिका में जनरेटर का अभिश्रव संलग्न नहीं है जबकि भुगतान जनरेटर का अभिश्रव का जोड़कर किया गया है। अतः अभिश्रव के अभाव में जनरेटर की खरीद पर किया गया व्यय राशि रू 480000.00 का अनियमित भुगतान किया गया।
4. कुर्सी एवं टेवुल का कय 03 फर्मो से कोटेशन प्राप्त कर तुलनात्मक विवरणी तैयार करना था। परन्तु 01 फर्मो का कोटेशन प्राप्त कर सामग्री खरीदा गया था जो कि कोटेशन का तुलनात्मक का अवहेलना कर राशि रू 747402.00 सामगी का कय M/s Royal Enterprises, Hari Mohan Lane Salempur, Chhapra किया गया है।
5. संचिका में संलग्न अभिश्रव एवं मस्टर रॉल के अनुसार राशि रू 4345401.00 है जबकि योजना पर व्यय राशि रू 4947378.00 किया गया है। अधिक भुंगतान राशि रू (4947378– 4345401) 601977.00 किया गया है।

जवाब में बताया गया कि

1. यह योजना एस.जी.एस.वाई के अन्तर्गत कियान्वित की गई है। इस योजना की प्राक्कलित राशि रू 4875900 है जिसके विरूद्ध 4875900 व्यय किया गया है।
2. इस कंडिका में उल्लेखित रू 455181 के मूल अभिश्रव उप विकास आयुक्त सारण छपरा को भेज दिया गया है।
3. अभिश्रव स्टोन चिप्स, ईट एवं बालू का ही ढुलाई का भुगतान अनुसूचित दर के अनुसार प्राक्कलन में किये प्रावधान के अनुरूप किया गया है।
4. बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार संवेदक से प्रपत्र एम एवं एन लेने एवं चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने की जानकारी नहीं रही है। भविष्य में ढुलाई का भुगतान उपरोक्त रिति के अनुसार ही किया जायेगा।

   अतः साक्ष्य के अनुपलब्धता के कारण दिया गया जवाब मान्य नहीं है।

कंडिका सं0 07– मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनान्तर्गत योजना का कार्यान्वयन अनियमित भुगतान राशि रू 6.89 लाख।

योजना सं.–10/2015–16 ग्रुप नं0–3

योजना का नाम–नगर परिषद छपरा के अन्तर्गत थाना चौक से दारोगा राय चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य।

प्राक्कलित राशि–रू 15033200.00

एकरारनामा की राशि–रू 13365155.00 (10 % कम दर)

संवेदक– ई0ए0पी0 कन्सक्ट्रक्शन प्रा0 लि0 हाजीपुर, वैशाली

कार्यादेश–10.02.16 पूर्ण करने की अवधि–6 माह

एकरारनामा सं0–50 F_2 2015–16

मापी पुस्तिका संख्या–160, कार्य मूल्य रू 11858543.00 दिनांक 22.06.16

भुगतान– रू 10672689.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. संचिका में उल्लेख पाया गया कि कुल 3 संवेदकों द्वारा इस कार्य की निविदा दी गयी लेकिन संचिका में एक भी निविदा नहीं पाया गया ना ही तुलनात्मक विवरणी संलग्न किया गया था।
2. दो मान्य निविदाकारों में लॉट्री के माध्यम से एक का चयन किया गया, लेकिन उक्त चुनाव पत्र पर कार्यपालक अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं था।
3. संवेदक द्वारा फार्म सी–III एवं फार्म 'एम' तथा फार्म 'एन' जमा/संलग्न नहीं किया था, जिसका सत्यापन जिला खनन पदाधिकारी से किया जाना उपबंधित था इसके कारण ढुलाई पर किया गया भुगतान मान्य नहीं था (रू 689356)
4. कार्यस्थल पर सूचना पट् लगाये जाने का साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं था।

जवाब दिया गया कि संवेदको का तुलनात्मक विवरण मास्टर संचिका में रक्षित है। दो मान्य निविदाकों में लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली की जानकारी नहीं रही है। भविष्य में इसका अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

जवाब संतोषजनक नहीं है। क्योंकि हर स्तर से इसकी सूचना प्रेषित एवं प्रकाशित की गयी थी।

कंडिका सं0–08 योजना के कियान्वयन में विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं राशि रू 4.16 लाख।

योजना सं0–30/15–16

योजना का नाम–मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत एकमा में प्रखण्ड कैम्पस में पार्क निर्माण।

प्राक्कलित राशि– रू 4168500

एकरारनामा की राशि–रू 3919572

संवेदक का नाम–श्री विशुनानन्द सिंह (सारण कंस्ट्रक्शन)

मापी पुस्तिका की राशि–रू 2788547

संवेदक को विमुक्त राशि–रू 2509441

अंतिम मापी की राशि– 29.06.16

कार्य प्रारंभ करने की तिथि–21.07.15

योजना की स्थिति– अपूर्ण

अंकेक्षण टिप्पणी

उपरोक्त संचिका के नमूना जॉच में निम्न अनियमितताऍ पायी गयी –

1. उपरोक्त योजना एकल निविदा से किया गया।
2. योजना को 21.07.15 को प्रारंभ करना था एवं तीन महीना (20.08.15) में एकरारनामा के अनुसार पूर्ण करना था तीन महीना में योजना पूर्ण नहीं करने पर प्राक्कलन का 0.5 प्रतिशत या अधिकतम 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क संवेदक से लेना था। लेकिन प्राक्कलित राशि ₹4168500 का 10 प्रतिशत यानि 416850 विलम्ब शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई।
3. मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना निरीक्षण जॉच हेतु मानक प्रपत्र पर कार्यपालक अभियंता एवं प्रभारी पदाधिकारी द्वारा 27.06.16 को योजना की जॉच किया गया जिसमें किये गये कार्य का मन्तव्य संतोषजनक लिखा गया था जबकि योजना तय समय से 14 महीना विलंब से पूर्ण किया गया था।

जवाब में बताया गया कि इस योजना के एकल निविदा को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अधीक्षण अभियंता को था जिसके द्वारा एकल निविदा को स्वीकृत किया गया है।

संवेदक द्वारा कराये गये शेष कार्य की मापी के पश्चात भुगतान किये जाने के समय नियमानुसार विलम्ब शुल्क की कटौती की जाएगी।

साक्ष्य नहीं उपलब्ध करने के कारण जवाब मान्य नहीं है।